

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी-स्कीम, जयपुर -302005

दूरभाष सं. 0141-2229314, 226728

ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक :एफ.10(न.पा.) (चुनाव) (जन)/डीएलबी/2026/23422

दिनांक: 13/08/2026

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 43 एवं राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 5 व 6 के क्रम में जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 8 (ग) नियम/चुनाव/एलएसजी/99/10334 दि. 30.10.99, एफ 8 (ग) () नियम/डीएलबी/20/46026 दि. 13.10.20 के क्रम में 309 नगर निकायों में अध्यक्ष पदों का वर्गवार एवं महिला आरक्षण एक तिहाई के आधार पर किये जाने हेतु दिनांक 13.08.2026 को प्रातः 10:30 बजे निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की अध्यक्षता में विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल एवं मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मियों एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी का आयोजन किया गया। जिसमें वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा विगत वर्षों में नवगठित नगरीय निकायों को शामिल करते हुए कुल 309 नगर निकायों के महापौर/सभापति/अध्यक्ष पदों का आरक्षण निम्न प्रकार किया गया है:-

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के महापौर/सभापति/अध्यक्ष पदों का आरक्षण नवगठित नगरीय निकायों को शामिल करते हुए हुए समस्त राज्य की 309 नगर पालिका को जनसंख्या 2011 के आधार पर जो निकाय वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2019-20 में आरक्षित हो गई थी उन्हें अपवर्जित करते हुए अवरोही क्रम में रखकर अधिकतम जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं को आरक्षित किया गया, जिनकी सूची निम्न प्रकार है:-

अ) अनुसूचित जाति के महापौर/सभापति/अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित नगरीय निकाय:-

क्रम संख्या	नगरीय निकाय का नाम	प्रतिशत	क्रम संख्या	नगरीय निकाय का नाम	प्रतिशत
1	टिब्बी	44.90	26	सायला	22.94
2	वजीरपुर	36.58	27	डग	22.90
3	कटूमर	36.26	28	मथानिया	22.75
4	धौरीमन्ना	33.66	29	सोजत रोड	22.62
5	बर्डोदमेव	33.38	30	खाटू खुर्द	22.53
6	घड़साना	33.24	31	सुलतानपुर	22.47
7	सिकराय	31.35	32	मांढण	22.47
8	खण्डार	31.14	33	रामगढ़ (अलवर)	22.47
9	कानोता	29.51	34	बस्सी	22.45

10	सूरौठ	29.03	35	साहवा	22.42
11	भाण्डारेज	27.96	36	उच्चैन	22.11
12	मारवाड- जंक्शन	27.78	37	टांटोटी	22.10
13	बोरावड	27.55	38	देवली	21.99
14	दूनी	27.40	39	धोंद	21.90
15	मनिया	25.60	40	आकोला	21.83
16	बसेडी	25.22	41	समदडी	21.75
17	मण्डरायल	25.14	42	टोडाभीम	21.40
18	मण्डार	24.50	43	पीपलू	21.33
19	मेडता रोड	24.42	44	तिवरी	21.21
20	पुष्कर	24.35	45	बुहाना	21.19
21	मनोहरपुर	24.01	46	जमवारामगढ़	21.10
22	अटरू	23.88	47	बाप	21.08
23	टपुकडा	23.60	48	सपोटरा	21.02
24	सिंणधरी	23.54	49	दर्ई	20.87
25	नापासर	23.45	50	गोलूवाला	20.85

उपर्युक्तानुसार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 50 नगरीय निकायों में लॉटरी द्वारा महिला पदों हेतु आरक्षण उपरांत संभावित आरक्षण की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	संभाग का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति वर्ग हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति वर्ग महिला हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या
1	जयपुर	13	जमवारामगढ़, बुहाना, धोंद, रामगढ़ (अलवर), मांढण, टपूकडा, मनोहरपुर, कानोता, सिकराय	9	कठूमर, बरसी, बर्डोदमेव, भाण्डारेज	4
2	अजमेर	8	पुष्कर, खाटूखुर्द, पीपलू, टांटोटी, देवली	5	मेडतारोड, दूनी, बोरावाड	3
3	जोधपुर	10	सायला, मारवाड-जंक्शन, मण्डार, तिवरी,	7	मथानिया, धौरीमन्ना, बाप	3

Bu

			सिणधरी, समदडी, सोजतरोड			
4	कोटा	4	अटरू, सुल्तानपुर, देई	3	डग	1
5	बीकानेर	5	साहवा, गोलूवाला, टिब्बी	3	नापासर, घडसाना	2
6	भरतपुर	9	उच्चैन, मण्डरायल, बसेडी, मणिया, खण्डार, वजीरपुर	6	सपोटरा, टोडाभीम, सूरौठ	3
7	उदयपुर	1	आकोला	1	—	—
	योग	50		34		16

(ब) अनुसूचित जनजाति के महापौर/सभापति/अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित नगरीय निकाय:-

क्रम संख्या	नगरीय निकाय का नाम	प्रतिशत	क्रम संख्या	नगरीय निकाय का नाम	प्रतिशत
1	बामणवास	49.93	7	मावली	16.14
2	रामगढ —पचवारा	33.99	8	बांसवाड़ा	15.44
3	मण्डावरी	32.00	9	वाटिका	14.94
4	लवाण	25.35	10	अरनोद	14.03
5	मण्डावर	21.77	11	मालाखेड़ा	12.88
6	वल्लभनगर	17.52			

उपर्युक्तानुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 11 नगरीय निकायों में लॉटरी द्वारा महिला पदों हेतु आरक्षण उपरांत संभावित आरक्षण की स्थिति निम्न प्रकार हैं:-

क्रम संख्या	संभाग का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति वर्ग महिला हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या
1	जयपुर	6	मण्डावर, मालाखेड़ा, रामगढ—पचवारा, मण्डावरी	4	लवाण, वाटिका	2

2	अजमेर	—	—	—	—	—
3	जोधपुर	—	—	—	—	—
4	कोटा	—	—	—	—	—
5	बीकानेर	—	—	—	—	—
6	भरतपुर	1	बामनवास	1	—	—
7	उदयपुर	4	बांसवाडा, अरनोद, मावली	3	वल्लभनगर	1
	योग	11		8		3

2. ओ.बी.सी. के महापौर/सभापति/अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित नगरीय निकाय में आरक्षण की संभागवार स्थिति निम्न प्रकार हैं:-

क्रम संख्या	संभाग का नाम	कुल संख्या	अन्य पिछडा वर्ग हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या	अन्य पिछडा वर्ग महिला हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या
1	जयपुर	19	अजीतगढ, विराटनगर, विद्याविहार, मलसीसर, बहादुरपुर, भिवाडी, श्रीमाधोपुर, राजगढ (अलवर), चिडावा, पलसाना, दांतारामगढ, मुण्डावर, झुंडलोद	13	नीमराना, बांदीकुई, नौगावं, खेतडी, दौसा, खाटूश्यामजी	6
2	अजमेर	10	नागौर, हमीरगढ, रियांबडी, सरवाड, डीडवाना, बासनी, जैतारण	7	जायल, लाडनूं, नावां	3
3	जोधपुर	8	भोपालगढ, रानीखुर्द, बालोतरा,	5	जसोल, खुडाला-फालना,	3

			आहोर, बिलाडा		बालेसरसत्ता	
4	कोटा	5	अन्ता, झालावाड, सुकेत	3	अकलेरा, कोटा	2
5	बीकानेर	7	सुजानगढ, लूणकरनसर, खाजूवाला, नोखा, राजगढ (चूरु)	5	सरदारशहर, श्रीकेसरीसिंहपुर	2
6	भरतपुर	6	रूपवास, बाँली, बृजनगर, सवाई-माधोपुर	4	सरमथुरा, राजाखेडा	2
7	उदयपुर	5	कुलशगढ, धरियावाद, कानोड	3	देवगढ, सांगवाडा	2
	योग	60		40		20

3. अनारक्षित वर्ग के महापौर/सभापति/अध्यक्ष पद के लिए नगरीय निकायों में महिला आरक्षण की संभावित स्थिति निम्न प्रकार हैं:-

क्रम संख्या	संभाग का नाम	कुल संख्या	अनारक्षित वर्ग हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या	अनारक्षित वर्ग महिला हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या
1	जयपुर	53	चौमूं, महवा, मण्डावा, खैरथल, रींगस, जयपुर, कोटपूतली, रामगढ-शेखावटी, बानसूर, खण्डेला, फागी, कालाडेरा, जाखल, बगड, बसवा, खेडली, नरायणा, पिलानी, मुकुन्दगढ, सांभर, दूदू, लोसल, झुन्झुनूं, किशनगढबास, लक्ष्मणगढ (सीकर), तिजारा,	35	अलवर, नारायणपुर, सिंघाना, कोटकासिम, सीकर, सुल्ताना, बगरू, नवलगढ, बिसाउ, थानागाजी, जोबनेर, किशनगढ-रेनवाल, मण्डेला, बडौद, लक्ष्मणगढ (अलवर), खेजरोली, पावटा-प्रागपुरा, गोविन्दगढ-रामबास,	18



			फुलेरा, नीमकाथाना, चाकसू, सूरजगढ, बहरोड, शाहपुरा, उदयपुरवाटी, लालसोट, फतेहपुर-शेखावटी			
2	अजमेर	34	बनेडा, केकडी, आसीन्द, मसूदा, कुचामनसिटी, पीसांगन, निवाई, टोडारायसिंह, ब्यावर, मालपुरा, किशनगढ, डिग्गी, बीगोद, रायपुर, कुचेरा, परबतसर, डेगाना, शाहपुरा (भीलवाडा), मकराना, नसीराबाद, मूण्डवा, टोंक, उनियारा	23	गंगापुर (भीलवाडा), बिजयनगर (ब्यावर), सावर, बिजौलिया, अजमेर, भीलवाडा, लाम्बाहरिसिंह, जहाजपुर, मेडतासिटी, गुलाबपुरा, मांडलगढ	11
3	जोधपुर	23	सांचौर, सिवाना, सादडी, आबूपर्वत, चौहटन, शिवगंज, बाडमेर, जालौर, जोधपुर, भीनमाल, पिण्डवाडा, जैसलमेर, सुमेरपुर, फलौदी, सोजतसिटी	15	गुढामलानी, पोकरण, पाली, सिरोही, पीपाडशहर, बाली, आबूरोड, तख्तगढ	8
4	कोटा	19	मांगरोल, सीसवाली, बूंदी, हिण्डौली, केशवरायपाटन, लाखेरी, नैनवा, भवानीमण्डी, झालरापाटन, मनोहरथाना, पिडावा, रामगंजमंडी,	13	इन्द्रगढ, कापरेन, बारां, छबडा, ईटावा, खानपुर,	6

Bu

			सांगोद			
5	बीकानेर	25	देशनोक, रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर, रतनगढ, पीलीबंगा, चूरु, श्रीविजयनगर, राजलदेसर, गजसिंहपुर, श्रीडूंगरगढ, श्रीगंगानगर, पदमपुर, रावतसर, नोहर, तारानगर, भादरा, बीकानेर	17	सूरतगढ, हनुमानगढ, छापर, सार्दुलशहर, संगरिया, बीदासर, अनूपगढ, रतननगर,	8
6	भरतपुर	16	भुसावर, पहाडी, डीग, नदबई, बाडी, सैपऊ, कुम्हेर, कामां, धौलपुर, गंगापुरसिटी, करौली	11	सीकरी, बयाना, भरतपुर, वैर, हिण्डौनसिटी	5
7	उदयपुर	18	उदयपुर, राजसमंद, चित्तौडगढ, डूंगरपुर, नाथद्वारा, परतापुरगढी, बडीसादडी, रावतभाटा, छोटीसादडी, आमेट,सलूमबर, भीण्डर,	12	निम्बाहेडा, प्रतापगढ, बेगूं, भीम, कपासन, फतेहनगर-सनवाड	6
	योग	188		126		62

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उपर्युक्तानुसार आरक्षण आगामी चुनाव-2026 में 309 नगरीय निकायों के लिए आयोजित होने वाले साधारण निर्वाचन में प्रभावी होगा।


 (जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
 निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक :एफ.10(न.पा.) (चुनाव) (जन)/डीएलबी/2026/23422

दिनांक: 13/08/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग/पंचायती राज/ग्रामीण विकास विभाग राज० जयपुर।
04. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
05. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
06. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
07. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को प्रकरण में केवियट दायर किए जाने हेतु।
08. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु।
09. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राज पत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु।
11. आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, संबंधित 309 नगरीय निकाय।


(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव